BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 28 OF 2026

IN THE MATTER OF:
Mohid Shah **…. Applicant**

Versus

Union of India & Ors. **…. Respondents**

INDEX

SLNo.	PARTICULARS	PAGES
1.	Affidavit On Behalf of Respondentuttar Pradesh Pollution Control Board	1-8
2.	**ANNEXURE-1** True copy of the said affidavit	9-12
3.	**ANNEXURE-2** Copy of the refusal dated 18.07.2025 alongwith the copy of the recording on the portal	13-16
4.	**ANNEXURE-3** A true copy of the prescribed guideline	17-22
5.	**ANNEXURE-4** A true copy of the no objection certificate issued by the Divisional Director, Social Forestry Division, Saharanpur	23
6.	**ANNEXURE-5** A true copy of the report regarding the distance issued by the Irrigation Construction Division, Saharanpur	24-25
7.	**ANNEXURE-6** A true copy of the report of Lekhpal	26-27
8.	**ANNEXURE-7** A true copy of the license issued by the District Magistrate, Saharanpur	28
9.	**ANNEXURE-8** A true copy of the license issued by the District Magistrate, Saharanpur	29

10.	**Vakalatnama**	30

NEW DELHI
DATED: 10.04.2026

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 28 OF 2026

IN THE MATTER OF:

Mohid Shah .... **Applicant**

Versus

Union of India & Ors. .... **Respondents**

NOTARY PUBLIC GOVT. OF INDIA
NOTARIAL NOTARIAL

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, Yogender Kumar aged about 50 years, S/o Shri Pyare Lal presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Saharanpur do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit on behalf of U.P. Pollution Control Board.

2. That by this Original Application (OA), the applicant has alleged that respondent no.7, stone crusher, is operating in violation of the sitting criteria and also it has operated previously without the requisite consent. The applicant has further alleged that the respondent no.7, stone crusher, has been set up in close proximity to the existing Mango, Guava

and Amla orchards at Village Nityanandpur, Tehsil Behat, District Saharanpur, Uttar Pradesh.

3. That the present matter was taken up before this Hon'ble Tribunal on 20.01.2026, upon considering the seriousness of the matter, this Hon'ble Tribunal was pleased to direct the respondents to file their replies by issuing the notice.

4. That it is most respectfully submitted that as per the office records, M/s Avisena Stones and Minerals Pvt. Ltd., situated at Khasra Nos. 42/1M, 43M, 44M, 38/2, 42/2, and 41, Village-Nityanandpur, Tehsil-Behat, District-Saharanpur, has been established since year 2011. The aforementioned stone crusher unit was previously a screening unit; upon its site being found to be in compliance with the Board's standards, the UPPCB has issued the initial 'Consent for Operation' under the Water and Air Acts—vide Reference No. 297/Consent (Water)/Order/2013 dated 31.05.2013 and Reference No. 468/Consent (Air)/Order/2013 dated 31.05.2013, respectively—the validity of which extended up to 31.12.2013.

NOTARY PUBLIC
Kaleem Ahmad
Advocate & Notary
Distt Saharanpur
Reg. 8286/10
GOVT. OF INDIA

5. That in light of the establishment of a stone crusher unit within the industrial premises, the aforementioned unit submitted an application for seeking a 'No Objection Certificate' (NOC) for expansion. Subsequently, as the said stone crusher unit was found to be in conformity with the prescribed guidelines, the UPPCB has issued a 'Consent for

Establishment' vide its letter Reference No. F30624/C-3/NOC-447/Saha/2013 dated 20.09.2013.

6. That it is further submitted that the industry utilizes River Bed Material as raw material—at a rate of 600 metric tonnes per day to produce Stone Grits, Dust, Gravel, and Coarse Sand, with a total output of 600 metric tonnes per day.

7. That the consent from the UPPCB was being obtained for the operation of the aforementioned stone crusher; the details of the Consent Orders issued by the Board are as follows:

NOTARY PUBLIC Kaleem Ahmad Advocate & Notary Distt Saharanpur Reg.-8286/10 GOVT. OF INDIA

- Consent for operation was issued vide State Board Reference No. 297(2)/Consent(Water)/Order/2014 dated 07.04.2014 and State Board Reference No. 498(2)/ Consent(Air)/Order/2014 dated 07.04.2014, the validity period of which extended up to 31.12.2014.
- Consent for operation was issued vide State Board Reference No. 312/Consent(Water)/Order/528/15 dated 15.05.2015 and State Board Reference No. 440/ Consent(Air)/Order/548/15 dated 15.05.2015, the validity period of which extended up to 31.12.2015.
- To the industry, vide Board Reference No.—49579/UPPCB/Saharanpur(UPPCBRO)/CTO/water/ SAHARANPUR/2019 Date: 19-02-2019 and Board's reference no. 49576/UPPCB/Saharanpur (UPPCBRO)/ CTO/air/SAHARANPUR/2019 Date: 19-02-2019 consent for operation was issued, the validity of which extended up to July 31, 2020.

- Consent to Operate was issued to the industry vide the Board's Reference No. —159741/UPPCB/Saharanpur (UPPCBRO)/ CTO/ both/ SAHARANPUR/2022 Date: 14-07-2022, the validity of which extended up to July 31, 2023.
- Currently, Consent to Operate has been issued to the industry vide the Board's Reference No. 246934/UPPCB/ Saharanpur(UPPCBRO)/CTO/both/SAHARANPUR/2025 Date: 04-08-2025, the validity of which extends up to July 31, 2028.

8. That the stone crusher has filed an affidavit before the Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Saharanpur stating that his stone crusher is closed on 2023 as no OTP has been granted. It was further stated in the said affidavit that he will start the operation of the stone crusher only after getting necessary permission. True copy of the said affidavit is being enclosed herewith and marked as **Annexure-1**.

9. That the stone crusher has applied consolidated consent to operate and authorization under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and authorization under the provisions of Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

10. That on 04.07.2025 certain documents have been called from the project proponent. Thereafter on 18.07.2025 it is recorded that the Applicant Project Proponent has not

submitted reply of online query, hence Regional Officer recommended to reject the consent application. Thereafter, on 18.07.2025 itself the consent was refused. Copy of the refusal dated 18.07.2025 alongwith the copy of the recording on the portal is being enclosed herewith and marked as **Annexure-2**

11. That as per the office records, the prescribed guidelines applicable to the aforementioned stone crusher—issued by the UPPCB vide Letter No. G-07673/32/2010/2 dated 19.01.2010 (as amended on 19.04.2011)—contained the following key provision regarding the distance between a stone crusher and an orchard:

NOTARY PUBLIC Kaleem Ahmad Advocate & Notary Distt. Saharanpur Reg.-8286/16 GOVT. OF INDIA

> *"The minimum distance between an orchard and a stone crusher, screening plant, or pulverizer unit shall be 1,500 meters in the East-West direction and 500 meters in the North-South direction. Here, 'orchard' refers to an orchard or a composite nursery having a minimum area of 2.5 acres and containing at least 100 fruit-bearing trees (Mango/Mixed). Furthermore, the guidelines of the District Council or the restrictions imposed by the local authority, whichever are more stringent—shall also apply." (Annexure-1)*

A true copy of the prescribed guideline is being annexed herewith and marked as **Annexure-3**.

12. That in consonance with the aforementioned prevailing guidelines, an inspection of the subject stone crusher was conducted on 29.05.2013 by the officials of UPPCB. During the inspection, the inspecting officials observed—in accordance with the prescribed guidelines regarding the distance from an orchard—that "there are no orchards meeting the prescribed standards within a distance of 1.5 km in the East-West direction and 500 meters in the North-South direction." Subsequently, upon finding the said stone crusher to be in compliance with the prescribed guidelines, a report containing recommendations was forwarded to the Board Headquarters; thereafter, in the year 2013, the Board Headquarters issued the 'Consent for Establishment' to the unit.

NOTARY PUBLIC Kaleem Ahmad Advocate & Notary Distt Saharanpur Reg.-8286/10 GOVT. OF INDIA

13. That in accordance with the prescribed guidelines, and prior to its establishment, the aforementioned stone crusher unit has obtained a No Objection Certificate (NOC) regarding the distance from the nearest Reserved Forest from the Divisional Director, Social Forestry Division, Saharanpur, as well as a report regarding the distance from the nearest river from the Office of the Executive Engineer, Irrigation Construction Division, Saharanpur. Furthermore, a report concerning the distances from residential areas, religious sites, schools, and district-level roads has been submitted by the Lekhpal.

A true copy of the no objection certificate issued by the Divisional Director, Social Forestry Division, Saharanpur is being annexed herewith and marked as **Annexure-4**.

A true copy of the report regarding the distance issued by the Irrigation Construction Division, Saharanpur is being annexed herewith and marked as **Annexure-5**.

A true copy of the report of Lekhpal is being annexed herewith and marked as **Annexure-6**.

14. That all air pollution control systems within the industry have been established in strict compliance with the "Environmental Guidelines for Stone Crushing Units, June 2023"—issued by the Central Pollution Control Board, Delhi, regarding the establishment and operation of stone crusher units as well as the new guidelines notified by the State Board on February 10, 2022, pertaining to stone crusher units.

NOTARY PUBLIC
Kaleem Ahmad
Advocate & Notary
Distt. Saharanpur
Reg. 8286/10
GOVT. OF INDIA

15. The industry has been issued a license for the storage of mined material vide Letter No. NOC/ST/2024/6/ 24/373067, dated April 17, 2025, issued by the Office of the District Magistrate, Saharanpur (Mining Section); the validity of this license extends up to April 16, 2028.

A true copy of the license issued by the District Magistrate, Saharanpur is being annexed herewith and marked as **Annexure-7**.

16. The industry has also obtained a Registration Certificate for groundwater extraction from the Groundwater Department, Uttar Pradesh.

A true copy of the license issued by the District Magistrate, Saharanpur is being annexed herewith and marked as **Annexure-8**.

17. That the present affidavit is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Saharanpur on this the 9th day of April, 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY PUBLIC
Kaleem Ahmad
Advocate & Notary
Distt. Saharanpur
Reg. 8286/10
GOVT. OF INDIA

IDENTIFIED BY
KALEEM AHMAD
Advocate
Reg. No.-10533/01
Ch.-63, Civil Court, SRE
Mob.-9359206239

DEPONENT

9/4/2026

Annexure-01 147

रतीय गैर न्यायिक

पये

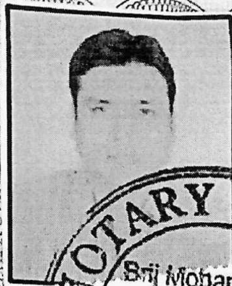

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY PUBLIC
Brij Mohan Singh
Advocate & Notary
Saharanpur (U.P.)
Reg. No.-9465/12
Expiry on 12/9/27
GOVT. OF INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GB 558831

शपथ पत्र

समक्ष :– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर

शपथ पत्र ओर से – मौ0 आमिर पुत्र शाहकत अली, आधार कार्ड नं0–8523 4168 0178 निवासी खामपुर, मु0नगर फर्म मैसर्स अविसेना स्टोन्स् एण्ड मिनरल्स् प्रा0लि0 ग्राम नित्यानन्दपुर, तहसील–बेहट, जनपद–सहारनपुर जो कि एक स्टोन क्रेशर इकाई का डायरेक्टर हूँ एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हूं।

शपथकर्ता शपथपूर्वक घोषणा करता है कि :–

Mohd Amir

..........2

क्रमांक 12 दिनांक 29/6/24

स्टाम्प का मूल्य 100

(शब्दों और अंकों में)

खरीदार का नाम व पिता का नाम

पत्राधार का पूरा पता

लेखपत्र का प्रकार

स्टाम्प विक्रेता का नाम--संजय कुमार शर्मा

ला० नं० 14 ला० अवधि 2026 तक विधिमान्य

स्टाम्प बिक्री का स्थान-कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड सहारनपुर

1. यह कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सब सच व सही है। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
2. यह कि उक्त फर्म मैसर्स अविसेना स्टोन्स् एण्ड मिनरल्स् प्रा0लि0, ग्राम–नित्यानन्दपुर, तहसील–बेहट, जनपद–सहारनपुर पर स्थापना हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक–20.09.2013 प्राप्त किया गया है।
3. यह कि फर्म में कच्चे माल के रूप में स्टोन बोल्डर का प्रयोग कर कौरसेण्ड, बोल्डर, ग्रिट, डस्ट व बजरी 600 मी0टन/दिन का उत्पादन किया जाता है।
4. यह कि स्टोन क्रेशर के संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वर्ष 31.07.2023 तक की विधिमान्य जल एवं वायु सहमति प्राप्त है।
5. यह कि स्टोन क्रेशर का संचालन विगत वर्ष 2023 से पूर्णतः बन्द है। वर्ष 2023 के पश्चात निजी कारणों से स्टोन क्रेशर का संचालन नहीं किया गया है। स्टोन क्रेशर की ओ0टी0पी0 भी वर्ष 2023 से बन्द है।
6. यह कि शपथकर्ता द्वारा स्टोन क्रेशर की मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मरम्मत का कार्य पूर्ण कर समस्त सम्बन्धित विभागों की सहमति/अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात स्टोन क्रेशर का संचालन का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
7. यह कि फर्म द्वारा सहमति की समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया जा रहा है।
8. यह कि स्टोन क्रेशर की प्लान्ट मशीनरी को पूर्ण रूप से कवर्ड किया गया है, वाईब्रेट्री स्क्रीन को टीन शैड की चादरों से कवर्ड किया गया है, स्टोन क्रेशर परिसर में आर0सी0सी0 रोड़ का निर्माण किया गया है। वाटर रिसाईकिलंग टैंक का निर्माण तथा विन्ड ब्रेकिंग वॉल में सुधार का कार्य किया जा रहा है।
9. यह कि मेरे द्वारा स्टोन क्रेशर परिसर के चारों ओर एक माह के अन्दर 33 प्रतिशत भू–भाग पर नये पौधों का सघन वृक्षारोपण किया जायेगा।
10. यह कि मेरे फर्म द्वारा मा0 राष्ट्रीय अधिकरण में कोई वाद दाखिल नहीं किया गया है, मेरे स्तर से कोई वाद विचाराधीन नहीं है।
11. यह कि मेरे फर्म के विरूद्ध खनन विभाग, राजस्व विभाग, आदि से राजस्व का बकाया नहीं है तथा कोई भी रिकवरी शेष नहीं हैं।
12. यह कि मेरे फर्म के विरूद्ध अवैध रूप से संचालन लोडिंग आदि से सम्बन्धित कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।
13. यह कि मेरे द्वारा भण्डारण का लाईसेन्स जिला प्रशासन से प्राप्त किया गया है। मेरे द्वारा कार्यालय जिलाधिकारी, खनन विभाग, सहारनपुर की उपविधियों/नियमों/आदेशों के अनुसार ही कच्चे माल कच्चे माल की आपूर्ति की जायेगी।

Mohd Arif

NOTARY PUBLIC GOVT. OF INDIA
Brij Mohan Singh
Advocate & Notary
Saharanpur
Reg. No. 9455/1.
Expiry on 12/9/27

Mohd Arif

14. यह कि स्टोन क्रेशर में लगभग 09 किली0/दिन जल खपत अधिकतम की जाती है। भू–गर्भ जल दोहन के सम्बन्ध मे उ0प्र0 भू–गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

15. यह कि फर्म का संचालन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निम्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के पश्चात ही किया जायेगा।

(a) Unit shall provide proper and clear name plate showing name and address of the unit.
(b) Properly enclosed all the equipments in Jaw Crusher Granulator, Vibratory Screen and Rotopactor by shed made of tin sheets.
(c) Provide properly designed spray facility at raw material feeding point and product delivery point of each of all equipment for dust suppression.
(d) All the final delivery conveyer belts should be covered and provided with spray facility for dust suppression.
(e) Properly designed chutes should be provided for discharge of product. Discharge point of all chutes should be lower than height of wind breaking wall.
(f) Wind breaking wall should be provided in front of all the final product discharge points.
(g) The unit shall provided water recycling arrangements for reuse of water used in the screening plant.
(h) The unit shall provide the proper for regular cleaning and wetting of the ground with in the premises.
(i) Flow meter should be provided to measure the daily water consumption and daily water consumption record for screening, spraying and ground wetting shall be maintained.
(j) Proper stack facility and acoustic enclosure should be provided at DG Set.
(k) R.C.C. road should be provided from product discharge point to product loading point.
(l) The unit shall get permission from Central Ground Water Board/U.P. Ground Water Department.
(m) Diesel consumption record should be maintained.
(n) The unit shall get the stocks holding license.
(o) The unit should submit agreement which shall clearly indicate the quantity of raw material that will be supplied by the mine lease holder to the stone crusher unit, and with valid environmental Clearance and Permission from District Collector of mine lease holder.
(p) Plants should be provided to the green belt.

16. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं में यदि भविष्य में कोई असत्यता पायी जाती है तो मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 एन0जी0टी0/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही मुझे बिना किसी आपत्ति के स्वीकार्य होंगी।

उपरोक्त पैरा नं0–1 से पैरा नं0–16 तक कथन मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास में सब सच व सही है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करे।

दिनांक –

Mohd Asif

शपथकर्ता

शपथकर्ता

SWORN & VERIFIED BEFORE ME
26 JUN 2024
Brij Mohan Singh
Advocate & Notary (Govt. of India)
Reg. No.-9455/12, Saharanpur (U.P.)

Identified By

Industry Name : AVICENNA STONES AND MINERALS PRIVATE LIMITED	**Category Name : ORANGE**
Address : VILLAGE NITYANANDPUR TEHSIL BEHAT DISTRICT SAHARANPUR U.P 247121,SAHARANPUR,247121	**District Name : SAHARANPUR**
Consent Type : CTO	**Application Date : 04/07/2025**

Date Time:	04-07-2025 12:51
Note By:	RO(UPPCB277)
Forwarded To:	AEE
Activity:	Forward
Description:	pl inspect and submit the report within prescribed time

Date Time:	04-07-2025 06:08
Note By:	AEE(UPPCB280)
Forwarded To:	RO
Activity:	Forward
Description:	The following important documents/information are required from the applicant: 1. The point wise compliance report of CTE/previous CTO. 2. The latest audited balance sheet for assessment of air and water consent fee . 3. The copy of valid stock license for raw material issued by mining department. 4. The copy of NOC of UPGWD . 5. The compliance report of letter issued by this office for compliance of CPCB guidelines issued for stone crushers. 6. The copy of GST certificate. 7. The status of green belt development. 8. The status of show cause notice/closure order issued by UPPCB (if any). 9. The distance verification certificate from nearest orchard obtained from district horticulture department. The above documents shall be submitted within 3 days.

Date Time:	04-07-2025 06:09
Note By:	RO(UPPCB277)
Forwarded To:	AEE
Activity:	Forward
Description:	The following important documents/information are required from the applicant: 1. The point wise compliance report of CTE/previous CTO. 2. The latest audited balance sheet for assessment of air and water consent fee . 3. The copy of valid stock license for raw material issued by mining department. 4. The copy of NOC of UPGWD . 5. The compliance report of letter issued by this office for compliance of CPCB guidelines issued for stone crushers. 6. The copy of GST certificate. 7. The status of green belt development. 8. The status of show cause notice/closure order issued by UPPCB (if any). 9. The distance verification certificate from nearest orchard obtained from district horticulture department. The above documents shall be submitted within 3 days.
Activity:	Clarification
Description:	The following important documents/information are required

from the applicant: 1. The point wise compliance report of CTE/previous CTO. 2. The latest audited balance sheet for assessment of air and water consent fee . 3. The copy of valid stock license for raw material issued by mining department. 4. The copy of NOC of UPGWD . 5. The compliance report of letter issued by this office for compliance of CPCB guidelines issued for stone crushers. 6. The copy of GST certificate. 7. The status of green belt development. 8. The status of show cause notice/closure order issued by UPPCB (if any). 9. The distance verification certificate from nearest orchard obtained from district horticulture department. The above documents shall be submitted within 3 days.

Date Time: 18-07-2025 06:19
Note By: AEE(UPPCB280)
Forwarded To: RO
Activity: Forward
Description: The applicant has not submitted the reply of online query till now therefore it is recommended to refuse the application.

Date Time: 18-07-2025 06:33
Note By: RO(UPPCB277)
Forwarded To: RO
Activity: Forward
Description:

Date Time: 18-07-2025 06:34
Note By: RO(UPPCB277)
Forwarded To: RO
Activity: Forward
Description:
Activity: Reject
Description: Refused

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building.No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
Telephone: +91-522-2720831, 2720681, 2720691 (Fax): +91-522-2720764

Category : ORANGE **Application Id : 32600199**
Ref No. - 243758/UPPCB/Saharanpur(UPPCBRO)/CTO/both/SAHARANPUR/2025 **Dated : 18/07/2025**

To ,

M/S RAVINDER PAL SINGH
AVICENNA STONES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
VILLAGE NITYANANDPUR TEHSIL BEHAT DISTRICT SAHARANPUR U.P 247121,SAHARANPUR,247121
SAHARANPUR

Sub : **Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules , 2016.**

Kindly refer to your Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) application dated 04/07/2025 and received on 04/07/2025under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules, 2016. Your application and the information submitted by you have been examined and your consent application is hereby refused due to following reason.

Reasons :-

The applicant has not submitted the reply of clarification till now.

The Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules , 2016 is hereby refused. Further, you are hereby informed to comply with the mandatory provisions of Water Act 1974, Air Act 1981 and HWM Rules 2016

This order is issued with the approval of competent authority.

Yogender Kumar
Digitally signed by Yogender Kumar
Date: 2025.07.18 18:31:17 +05'30'

मिशन LiFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली

(Lifestyle For Environment)

जनसहभागिता का सन्देश

- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट /अपशिष्ट फेकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइक्लिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका पृथक्कीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रैफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |

प्रा० [illegible] 19/1/10

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पिकप भवन, तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या– G-7673/32/2010/2 दिनांक– 19-1-2010

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त–३

कृपया दिनांक– २१ दिसम्बर,२००६ को सम्पन्न ८० वीं बैठक की कार्यसूची संख्या–८०.०६ में प्रस्तुत विषय " प्रदेश में स्टोन कशर, स्कीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों के संबंध में और अधिक प्रभावी कार्यवाही हेतु गाइड लाइंस बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव (छाया प्रति संलग्न) पर बोर्ड द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

"बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। साथ ही निर्देश दिए गए कि इस संबंध में वन विभाग की गाइड लाइन को भी संज्ञान में लिया जाय।"

अतः बोर्ड द्वारा लिए गए उक्त निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:– यथोपरि।

(डा० सी० एस० भट्ट)
सदस्य–सचिव।

कार्य सूची संख्याः-- 80.06

विषय -- प्रदेश में स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों के सम्बन्ध में और अधिक प्रभावी कार्यवाही हेतु गाइड लाइंस बनाए जाने के लिए प्रस्ताव

जनपद सहारनपुर, उत्तराखण्ड एवं हरियाणा राज्य की सीमा से लगा हुआ स्थित है। हरियाणा राज्य में स्टोन क्रशिंग इकाइयों की बंदी के कारण कई नई स्टोन क्रशिंग इकाइयाँ/हरियाणा राज्य से विस्थापित होकर यमुना नदी के किनारे-किनारे झुण्ड के रूप में स्थापित हो रही हैं। गत एक वर्ष में लगभग 50 नई इकाइयों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हरियाणा राज्य में स्टोन क्रशिंग इकाइयों पर रोक लगी होने के कारण इस संख्या में और वृद्धि सम्भावित है। प्रश्नगत क्षेत्र के अंतर्राज्यीय सीमा से लगे होने, राजाजी नेशनल पार्क के निकट होने से यदि प्रारम्भ में ही रोक नहीं लगाई गई तो जनपद सहारनपुर में पर्यावरणीय असंतुलन की समस्या से नकारा नहीं जा सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्टोन क्रशिंग इकाइयों की स्थापना के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित गाइड लाइंस नहीं हैं। बोर्ड द्वारा पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1146/45-3(26) प्रा0नि0/86 दिनांक 23.04.87 के अनुसार कार्यवाही की जा रही थी जिसके अनुसार मुख्यतः मुख्य मार्ग से दूरी 500 मी0, मुख्य आबादी से दूरी 1 किमी0 तथा दो स्टोन क्रशिंग इकाइयों के बीच की दूरी 400 मी0 से कम नहीं होनी चाहिए। दो स्टोन क्रशिंग इकाइयों के बीच की दूरी 400 मी0 का पालन करने पर इन इकाइयों का विस्तार और अधिक क्षेत्र में होगा। स्टोन क्रशिंग इकाइयों को स्टोन उपलब्ध कराने वाले स्क्रीनिंग प्लाण्ट (वाटर वाशिंग) के लिए भी स्थल स्थापना संबंधी नीति बनाई जानी आवश्यक है।

राज्य उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लाण्ट एवं पल्वराइजर अनुज्ञा नीति, 2008 बनाई गई है। (प्रति संलग्न) हरियाणा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.97 जारी की गई है। (प्रति संलग्न) हरियाणा राज्य की गाइड लाइंस में आबादी एवं सड़क से दूरी के मानक उ0प्र0 राज्य की वर्तमान नीति से मिलते-जुलते हैं। हरियाणा राज्य की गाइड लाइंस में दो स्टोन क्रशर के बीच की दूरी निर्धारित नहीं है। उत्तराखण्ड की गाइड लाइंस में स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लाण्ट की चारदीवारी से न्यूनतम 50 मीटर दूरी पर दूसरे प्लाण्ट की स्थापना के मानक निर्धारित हैं।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश में स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों हेतु संलग्नानुसार गाइड लाइन तैयार की गयी है।

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पिकप भवन, तृतीय तल,बी—ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या—G10595/32/2010-11/36 दिनांक—19 अप्रैल 2011

डा० आर० एस० यादव,
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त—3

दिनांक— २३ फरवरी, २०११ को सम्पन्न ८३ वी बैठक की कार्यसूची संख्या— ८३.०६ पर बोर्ड के समक्ष " प्रदेश में स्टोन क्रशर स्क्रिनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों के संबंध में बोर्ड की ८० वी बैठक में अनुमोदित गाईड लाइन में संशोधन " संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव, जिसकी छाया प्रति संलग्न है, पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित प्राविधानों को गाइड लाइन में समावेशित किए जाने के निर्णय लिए गए:—

१ बाग से स्टोन क्रशर, स्क्रिनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों की न्यूनतम दूरी पूरब—पश्चिम 1500 मी० एवं उत्तर दक्षिण में 500 मी० होनी चाहिए। यहां बाग से तात्पर्य ऐसे बाग/ संयुक्त नर्सरी से है, जिसका क्षेत्रफल कम से कम 2.5 एकड़ का हो तथा जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष (आम/ मिश्रित) लगे हों। साथ ही जिला परिषद की गाईड लाइन्स अथवा स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिबन्ध, जो भी अधिक हों, लागू होंगे।

२. उत्तर प्रदेश में अभी तक इको—सैन्सटीव जोन घोषित नहीं हुए हैं। मा० सर्वोच्च न्यायालय के जो २००२ के आदेश थे, उसमें नेशनल पार्क एवं सेन्चुरी के १० किमी० क्षेत्र को इको—सेन्सटीव जोन घोषित करने की बात कही गई थी। फारेस्ट कन्जरवेशन एक्ट, १९८० के अन्तर्गत अस्थायी क्रशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु (एजेन्डा के पृष्ठ—... गाइड लाइन्स निर्धारित की गई है, को अस्थाई स्टोन क्रशर हेतु अंगीकृत किया जाय।

साथ ही मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या— ... १५६८—१६०० इन डब्लू०पी०सी०२०२ आफ १९९५ में दिनांक— ०४.०८.२००६ को पारित आदेश के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान एवं अन्य प्राणि विहार तथा वन क्षेत्र से ०१ कि०मी० की दूरी को सेफ्टी जोन माना गया है व इस सेफटी जोन के अन्दर स्टोन क्रशर, स्क्रिनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों की स्थापना प्रतिबन्धित है। अतः इसको अंगीकृत किया जाय। यह भी उल्लेख किया जाय कि इस संबंध में वन विभाग द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध लागू होगा तथा नियमानुसार वन विभाग की अनुमति भी केस टू केस स्टोन क्रशर द्वारा प्राप्त करनी होगी।

३. मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन सं० 460 of 2004 in the matter of Goa foundation Vs Union of India में दिनांक— 04-12-2006 को पारित आदेश के अनुसार नेशनल पार्क/ वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी से १० कि०मी० की दूरी का इको सेन्सिटिव जोन निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक— 02-12-2009 द्वारा भारत सरकार ने ...

उपरोक्तानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
... अधिकारी वृत्त 1,2,3,4,5,6,7,8,9
20.4.11
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-3)

कार्यरत स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों के सम्बन्ध में गाइड लाइंस

1. धूल के कणों का उत्सर्जन रोकने की विधि (Dust Extractors) या धूल के कणों को हवा में उड़ने से रोक की विधि (Water Sprinklers) का प्रभावी उपयोग स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लाण्ट द्वारा करना होगा।
2. हवा के बहाव को रोकने हेतु दीवारों का निर्माण (Wind Breaking Wall) सभी धूल उत्सर्जन स्थानों प करनी होगी।
3. स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों के अंदर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
4. स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों की सीमा के अंदर सम्पूर्ण क्षेत्र में धूल को हटाने क व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव किए जाने की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि धूल व कण हवा में न उड़ सकें।
5. स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों के चारों तरफ कम से कम 33 प्रतिशत भू–भाग प धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ की हरित पट्टी का विकास कर उसको संरक्षित करन होगा तथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी।
6. धूल एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में उपयोग होने वाली विधियों एवं उपकरण इकाई मालिक द्वारा अपन स्वयं के खर्चे पर स्थापित करने होंगे। धूल एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण विधियों को स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों में अनवरत कार्यरत रखने की जिम्मेदारी स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लाण्ट स्वामी की होगी।

स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों की पुनर्स्थापना

स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों से समस्या को देखते हुए स्थल से उपरोक्त वर्णि निर्धारित दूरियों के सापेक्ष जिनके स्थल मानक के अनुसार नहीं है, को एक साल के अन्दर नए स्थान प पुनर्स्थापित करने के संबंध में कार्यवाही करनी होगी।

संलग्नक

प्रदेश में स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों के सम्बन्ध में और अ
प्रभावी कार्यवाही हेतु गाइड लाइंस बनाए जाने के लिए प्रस्ताव

नई इकाइयों की स्थल के संबंध में गाइड लाइंस।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश में स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों की स्थापना के लिए निम्नलिखित गाइड लाइंस प्रस्त हैं:–

1. राष्ट्रीय/राज्यमार्ग की चौड़ाई के मध्य से कम से कम 500 मीटर तथा अन्य मार्ग की चौड़ाई के मध्य 300 मीटर दूर स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लाण्ट की स्थापना अनिवार्य है।
2. आबादी/सार्वजनिक स्थल/विद्यालय/अस्पताल/प्रमुख धार्मिक स्थल से न्यूनतम दूरी 1 किमी0 ह चाहिए।
3. राष्ट्रीय संरक्षित वन क्षेत्र/सेंचुरी पार्क/आरचर्ड से दूरी 3 किमी0 होनी चाहिए।
4. नदी से अवैध खनन को रोकने के लिए स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लाण्ट के नदी फ्लड जोन एरिया से कम कम 500 मीटर दूर होना चाहिए, जिससे कि स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों द्व खनिज अवैध रूप से प्राप्त कर अथवा अवैध खनन कर उपयोग किये जाने की संभावना न हो। इस सत्यापन जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी (जेष्ठ खान अधिकारी अथवा खान अधिकारी/ जिलाधिक द्वारा प्राधिकृत किये गये अधिकारी) द्वारा किया जायेगा।
5. स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट में मुख्य प्लान्ट एवं मशीनरी चार दिवारी से न्यून्तम 50 मीटर दूर स्थाि करना ,वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु नियमानुसार उपयुक्त व्यवस्था, अन्दर के सभी मार्ग पक्का करने प्रतिशत भू–भाग पर सघन वृक्षारोपण करने, सम्पूर्ण क्षेत्र में धूल को हटाने की व्यवस्था, भूमि पर पानी छिड़काव, कच्चे माल एवं उत्पाद के भण्डारण करने के लिये पर्याप्त भूमि की व्यवस्था आवश्यक होगी। अ मुख्य प्लान्ट को स्थापित करने के लिये न्यूनतम् 1 हैक्टेयर भूमि आवश्यक होगी।
6. स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु पर्यावरणीय दृष्टि से अनापत्ति से पूर्व प्रस्तावित इकाई क कच्चे माल की उपलब्धता के संबंध में खान विभाग के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति/क्लीयरेन्स प्राप्त क प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतएव, बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव है कि :—

प्रदेश में पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश में स्टोन क्रशर स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों हेतु प्रस्तावित गाइड लाइन का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान करना चाहेंगे।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर।

पत्रांक / दिनांक सहारनपुर अप्रैल 26 2013

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी,(वि0 / रा0)
सहारनपुर।

1732

ADM F&R
कृपया जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
प्रभारी अधिकारी (आगम भ0)
जिलाधिकारी, सहारनपुर
दिनांक 27/4

विषय – स्टोन क्रेशर की अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

सन्दर्भ – आपका पत्रांक 728 / एए0टी0 दिनांक 27-9-2013

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड सहारनपुर के पत्रांक 4444 / मि0नि0ख0म0 / स्टोन केशर / दिनांक 23.11.2012 के अन्तर्गत मै0 अविसेना स्टोन मिनिरल्स प्रा0 ग्राम नित्यानन्दपुर (रायपुर) तहसील बेहट जनपद सहारनपुर जो सामाजिक वानिकी प्रभाग सहारनपुर के अन्तर्गत आता है, कि जांच क्षेत्रीय वनाधिकारी बेहट व शिवालिक वन प्रभाग के प्रतिनिधि तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराई गई उनकी रिर्पोट के आधार पर सूचना निम्नवत प्रेषित है।

क्र0सं0	स्टोन केशर का नाम व स्थल	जी0पी0एस0 रीडिंग	निकटतम आरक्षित वन क्षेत्र का जी0पी0एस0 रीडिंग	निकटतम आरक्षित वन क्षेत्र से दूरी(किमी में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	मै0 अविसेना स्टोन मिनिरल्स प्रा0 ग्राम नित्यानन्दपुर (रायपुर) तहसील बेहट जनपद सहारनपुर	N-30° 14′58.6″ E-077° 33′38.1″	N-30° 10′00.7″ E-077° 36′54.2″	10.94	मगनपुरा के मुनारा सं0 908 से दूरी

1– उपरोक्त स्टोन केशर सहारनपुर जनपद के वन क्षेत्र में नहीं है।

2– अन्य राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, तथा उत्तराखण्ड में स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा में स्थित कलेसर अभ्यारण्य की वास्तविक सीमायें ज्ञात न होने के कारण उनकी निकटतम सीमा स्टोन केशरों की दूरी दे पाना संभव नहीं है।

P
with ref.

भवदीय

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
सहारनपुर।

पत्रांक 5239 / दिनांकित
14/2013

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, सहारनपुर को सूचनार्थ एंव कार्यावाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
सहारनपुर।

Annexure - 5

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर ।

संख्या: 4444 सि0नि0ख0 / स्टोन केशर,

दिनांक : नवम्बर 22 ,2012

विषयः- स्टोन केशरों के सम्बन्ध में ।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सहारनपुर ।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्याः 476/एस0टी0 दिनांक 20.10.2012 का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निम्नलिखित स्टोन केशर्स की आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

स्टोन केशर की सूची जिनकी दूरी नदी से 500 मीटर से अधिक है :

क0सं0	स्टोन केशर का नाम व पता
1.	मै0 अविसेना स्टोन मिनरल्स प्रा0लि0 ग्राम नित्यानन्दपुर ।रायपुर। तहसील बेहट जनपद सहारनपुर

संलग्नः रिपोर्ट ।

भवदीय,

23/11/12

(एम0पी0एस0वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

संख्याः /सि0नि0ख0 / तद्दिनांक :

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर को सूचनार्थ प्रेषित है ।

(एम0पी0एस0वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सहारनपुर

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, सहारनपुर के पत्रांकः 472/मा0 सर्वोच्च न्यायालय/2012 दिनांक 23.06.2012 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि आपके पत्र संख्याः 476/एस0टी0 दिनांक 20.10..2012 में उल्लिखित स्टोन केशर पंजीकरण संख्या......... खसरा संख्या..................... पर अंकित स्टोन केशर मै0 अविसेना स्टोन मिनरल्स प्रा0लि0, ग्राम नित्यानन्दपुर (रायपुर) तहसील बेहट, जनपद सहारनपुर यमुना नदी के बॉयी ओर स्थित है। दिनांक 15.06.2006 को तकनीकी सलाहकार समिति की 141 वीं बैठक के बिन्दु-ग व्दारा नदी एवं नाले को परिभाषित किये जाने हेतु निर्धारित मानक के अनुसार बादशाहीबाग राव प्रश्नगत नाले की श्रेणी में आता है एवं केशर नाले के बहाव क्षेत्र के बाहर स्थित है तथा यमुना नदी के वर्तमान में फ्लड जोन से 500 मीटर से कहीं अधिक दूरी पर स्थित है। प्रदूषण विभाग की गाईड लाईन्स के अनुसार नदी से अवैध खनन रोकने के लिए स्टोन केशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट नदी फ्लड जोन एरिया से कम से कम 500 मीटर दूर होना चाहिए।

आख्या आपकी सेवा में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(हस्ताक्षर) 8/11/12
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड
सहारनपुर।

Annexure - 06

श्रीमान जी,

सलग्न प्रा० पत्र श्री अब्दुल वाजिद पुत्र मौ० अब्दु निवासी जगाधरी ने ग्राम नित्यानन्दपुर मु० परगना फैजाबाद बेहट जिला सहारनपुर के ख०नं० 42/1क / 0.72, 43क / 0.133, 44क / 0.256, 45ख / 0.143, 39/2 / 0.392, 42/2 / 1.464, 40/2 / 0.825, 41 / 0.882 तथा ख०नं० 45क / 0.143 में आरा० कुल 1.721 हे० भूमि ली है, में स्टोन क्रेशर स्थापित करना चाहते हैं। भूमि सम्भूत है। इसी प्रमाण का हद जांच आख्या निम्न है

1- प्रस्तावित भूमि की डेंज कनवेयर से ग्राम की पूरब आबादी 500 से अधिक है।

2. प्रस्तावित भूमि की डंग कनवेयर से ग्राम की धार्मिक स्थल प्रा० स्कूल 650 मीटर से अधिक है।

3. प्रस्तावित स्थल से जिला स्तरीय मार्ग (मीरपुर गन्डेवड हथनी कुण्ड मार्ग) से लगभग 1.5 कि०मी० तथा राजकीय मार्ग बलरोला मार्ग से 6.5 कि०मी० की लगभग है।

आख्या आवश्यक सेवा में प्रेषित।

11/01/13

मो० [illegible]

क्षेत्र लेखपाल

सम्प्रेषित।

11-01-13

नायब तहसीलदार

बेहट (सहारनपुर)

नजरी नक्शा ग्राम निटयानन्दपुर मु० परगना फैजाबाद तहसील बेहट
जिला सहारनपुर बाबत ख०न० 34/5, 43/5, 44/5, 45/5
38/2, 39/2, 40/2, 40/2, 41

कुल क्षेत्रफल 1-721 हे०

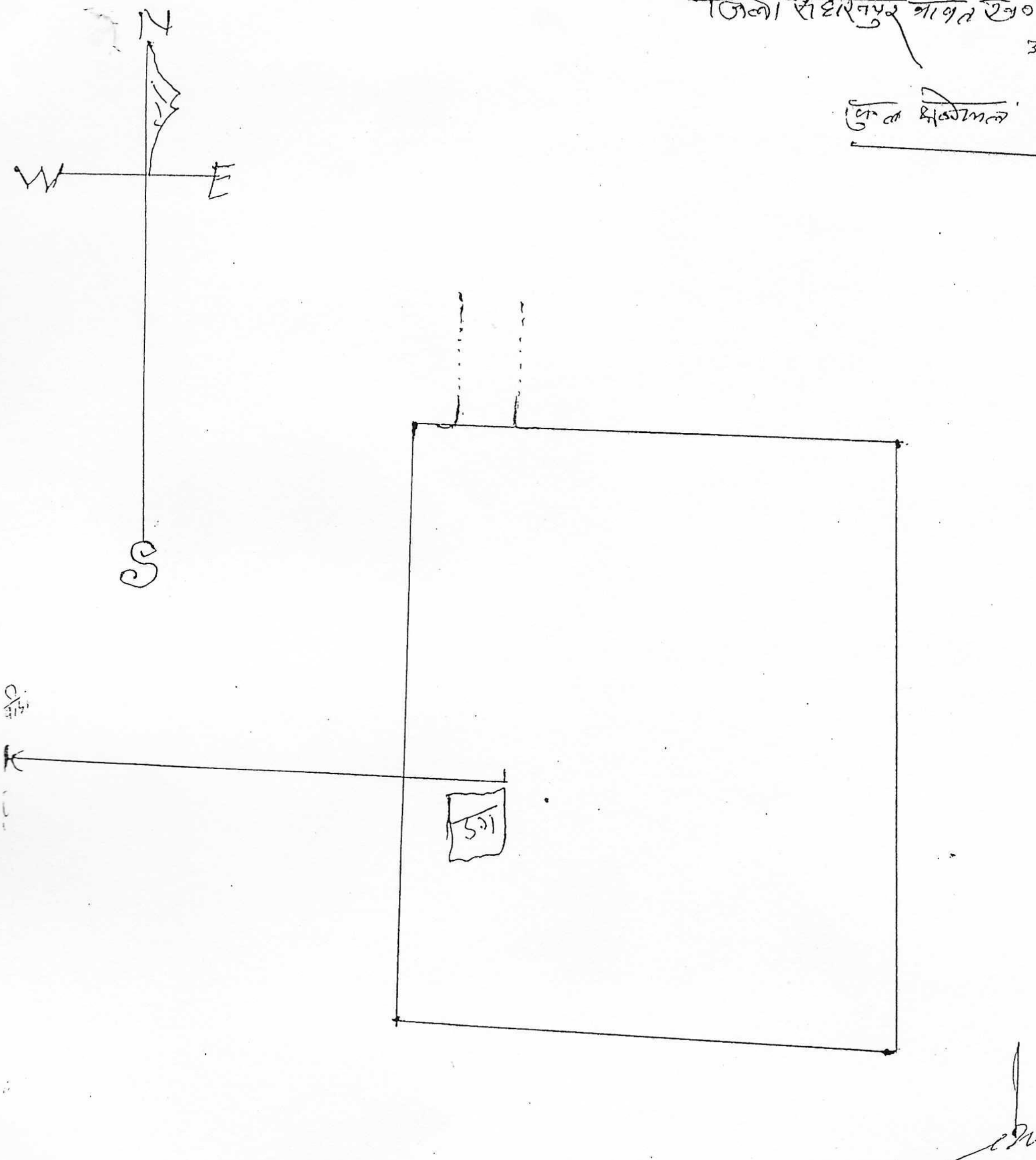

11/01/13

सम्प्रेषित
11-01-13
TB

Annexure-07

कार्यालय जिलाधिकारी, Saharanpur

(खनन-अनुभाग)
प्रपत्र - ख
खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति
{ नियम - ६ देखिये }

UP MINES MITRA

संख्या: NOC/ST/2024/6/24/373067

दिनांक: 17-04-2025

आवेदक एवं अवधि

अनुज्ञप्तिधारी का नाम	MS AVICENNA STONES AND MINERALS PRIVATE LIMITED' DIRECTOR MOHD AMIR	अनुज्ञप्तिधारी का पता	ALI KHAMPUR MUZAFFARNAGAR UTTAR PRADESH 251307
अनुज्ञा की अवधि	अवधि 17-04-2025 से 16-04-2028 तक	भण्डारण का प्रयोजन	

भण्डारण के लिए अनुज्ञा प्राप्त उपखनिज का विवरण

नाम	मात्रा
Sand Stone Quartizite Ballast Gitti	7000.00 घन मी०
Stone Dust	7000.00 घन मी०
Ordinary sand Category I	7000.00 घन मी०
Sand or Bajri or Boulder RBM	29000.00 घन मी०
कुल	50000.00 घन मी०

खनिज भण्डारण की अनुज्ञप्ति हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति

जनपद	तहसील	ग्राम / नगर	मोहल्ला	अवस्थिति(गाटा संख्या/ क्षेत्रफल)
Saharanpur	Behat	नित्यानन्दपुर मुस्तकम - 108925	VILL NITYANANDPUR TEHSIL BEHAT DISTT SAHARANPUR	38/2 39/2 42/2 Total Area 1.457 hectare

आवेदक द्वारा अनुलग्नक-1 की शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

Digitally signed by MANISH BANSAL
Date: 17 Apr 2025 13:13:02
Saharanpur

अनुलग्नक-1

सहमति पत्र की शर्तें निम्नवत हैं।

1. उपखनिजो का भण्डारण वैद्य अभिवहन पत्र EMM-11 के आधार पर ही किया जायेगा।
2. भण्डारण स्थल में उपखनिज लाने एवं ले जाने हेतु केवल एक ही रास्ता (गेट) होगा जहाँ सभी वाहनों के आवागमन को रिकॉर्डिंग हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाया जायेगा। कैमरे की रिकॉर्डिंग कम्प्यूटराइज्ड होगी एवं जिसमें भण्डारण स्थल में आने-जाने वाले वाहनों का रिकार्ड सुरक्षित रखा जायेगा एवं जाँच द्वारा अभिनियोजित किया जायेगा तथा उसकी रिकार्डिंग कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित रखनी होगी।
3. भण्डारण स्थल में कच्चे माल लाने एवं तैयार माल ले जाने वाले वाहनों का इलैक्ट्रॉनिक वेट मशीन से वेट किया जायेगा तथा कम्प्यूटराइज्ड डाटा सुरक्षित रखा जायेगा।
4. ओवर लोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण हेतु भण्डारणकर्ता द्वारा निकासी स्थल पर तौल मशीन लगवाकर निदेशालय में स्थापित कमाण्ड सेन्टर में प्रयुक्त आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स युक्त सॉफ्टवेयर से इन्टीग्रेट करेगा, इन्टीग्रेशन के तौल मशीन में निम्न Features का होना अनिवार्य है।
5. The weigh bridge device should use the MQTT protocol to transmit data.
6. The weigh bridge device should transmit data over the internsmit data over the Internet to IOT infrastructure in cloud.
7. भण्डार स्थल से खनिजो का परिवहन प्रपत्र "सी"/ई प्रपत्र सी में अभिवहन पत्र जारी किये बिना किसी अन्य स्थान को नहीं करेगा।
8. किसी सार्वजनिक सड़क, रेलमार्ग या किसी सार्वजनिक परिसर से 50 मीटर के भीतर किसी खनिज का भण्डारण नहीं करेगा।
9. अनुज्ञप्तिधारी हर समय क्रय किये गये, भण्डारित किये गये, या प्रेषित किये गये खनिजों का ठीक एवं बोधगम्य लेखाजोखा प्रपत्र "घ" में रखेगा।
10. खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्तिधारी स्वंय द्वारा भण्डारित और परिवहन किये गये खनिजो के ठीक-ठीक लेखो की एक प्रति प्रत्येक त्रैमास में जिलाधिकारी को प्रपत्र "ड" में प्रस्तुत करेगा।
11. सरकार की किसी प्रकार की देनदारी की प्रतिपूर्ति अनुज्ञप्तिधारक द्वारा की जायेगी।
12. अनुज्ञप्तिधारक द्वारा खनिजों का भण्डारण इस प्रकार किया जायेगा कि उसका Angle of Slope 45 डिग्री से अधिक न हो।
13. अनुज्ञप्तिधारी का भण्डारण स्थल पर प्रमुखता से विक्रय मूल्य प्रदर्शित करना होगा।
14. समस्त रिपोर्ट, विवरणियां और रजिस्टर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुरक्षित किये जायेंगे और कारबार-स्थल पर रखें जायेंगे तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे।
15. अनुज्ञप्तिधारी खनिजों को भण्डारित करते हुए अथवा उन्हें प्रसंस्करण संयत्र या सज्जीकरण संयत्र या कारखाना में उपयोग करते समय पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगा।
16. अनुज्ञप्तिधारी को खान निदेशालय के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को खनिज स्टाक का सत्यापन करने और नमूना तथा अभिलेखों का उद्धरण ग्रहण करने हेतु भण्डार, कारखाना, प्रसंस्करण संयत्र तथा संयत्र का निरीक्षण करने देना होगा।
17. भण्डारण स्थल पर वाहनों के आने एवं निकासी का एक ही मार्ग होगा।
18. मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण/शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों का अनुपालन अनुज्ञप्तिधारक द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
19. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर से CTE व CTO प्राप्त होने के उपरान्त ही स्टोन क्रेशर से उपखनिज की निकासी करायी जाएगी।
20. उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2018 के नियम-6 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत 03 (तीन) वर्ष की अवधि हेतु उक्त भण्डारण नियमावली के नियम 11, 12 व 13 में उल्लिखित सुसंगत शर्तों में उल्लिखित सुसंगत शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
21. आवेदनकर्ता के शपथ पत्र दिनांक 07.01.2025 के अनुसार आवेदनकर्ता के विरूद्ध भविष्य में कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय आयुक्त सहारनपुर मण्डल सहारनपुर एवं जिला प्रशासन द्वारा जो भी निर्णय/आदेश पारित किया जाएगा, वो आवेदनकर्ता को सर्वसम्मति से मान्य होगा।

GROUND WATER DEPARTMENT

(Namami Gange & Rural Water Supply Department)
Ministry of Jal Shakti
Government of Uttar Pradesh

Form 3 (B)
[See Rule 8(1)]

Certificate of Registration of User for Abstraction of Ground Water

(U/S10(1) of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019)

Registration No.: 202207001298

Name of the Owner	MOHD AMIR		
Designation पद	PARTNER	Company Name कंपनी का नाम	M/s AVICENNA STONES & MINERALS PRIVATE LIMITED
Company Address कंपनी का पता	VILLAGE NITYANANDPUR MUST, TEHSIL BEHAT	Authorization Letter प्राधिकार पत्र	Download
Address of the Applicant	KHASRA NO. - 40/2, 41, 38/2, 39/2, 42/2, 42/1M, 43M, 44 AND 45M, VILLAGE NITYANANDPUR MUST, TEHSIL BEHAT, SAHARANPUR, U.P	Application Form Serial No.	SRNP0722RIN0109
Date of Submission	25/07/2022	Specimen Signature	

Location Particulars

District	Saharanpur	Block	SADHULI KADEEM
Plot No./Khasra No.	VILLAGE NITYANANDPUR MUST, TEHSIL BEHAT	Municipality/Corporation	No
Ward No./Holding No.			N/A

Particular of the Existing Well and Pumping Device

Date of Construction/Sinking of the Well	15/01/2019		
Type of Well	Tube Well/Boring	Depth of the Well (in meter)	76.00
Purpose of well	Industrial	Assembly Size(For Tube Well)	
Strainer Position (For Tube Well)		H.P. of the Pump	15.00
Type of Pump Used	Submersible	Rate of Withdrawal (m^3/hr.)	9.00
Operational Device	Electric Motor		
Date of Energization (in Case of Electric Pump)			24/01/2019

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Appeal /OA NO. **28 OF 2026**

In re:

MOHID SHAH

Plaintiff /Appellants/ Petitioner/Complainant

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

Defendant/Respondent/ Accused

KNOW ALL to whom these present shall come that I/We Anuj Kumar Chaubey the above named Law officer do hereby appoint (herein after called the advocate/s) to be my/our Advocate in the above noted case & authorize :-

Mr.Pradeep Misra, Mr. Daleep Dhyani, Advocates,
138, New Lawyers Chamber, Supreme Court of India,
New Delhi, Ph. :011-23070011, Mob. 9810252518, 9811070721

To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court subject to payment of fees separately for each Court by me/ us.

To sign, file verify and present pleadings, appeals cross objections or petitions for execution review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages.

To file and take back documents to admit and/or deny the documents of opposite party.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take execution proceedings.

To deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts thereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner, authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think it to do so and to sign the Power of Attorney on my/our behalf.

AND I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purposes.

AND I/We undertake that I / we or my /our duly authorized agent would appear in the Court on all hearings and will inform the Advocates for appearance when the case is called.

AND I /we undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the Advocate which he shall receive and retain himself.

AND I /we the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fee is paid. I/we will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever. If the case lasts for more than three years, the advocate shall be entitled for additional fee equivalent to half of the agreed fee for every addition three years or part thereof.

IN WITNESS WHEREOF I/We do hereunto set my /our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us on this 09 day of 04.2026 .

Ac[cepted su]bject to the terms of fees.

(PRADEEP MISRA)(DALEEP DHYANI)
Advocate Advocate (D/435/01)

Client
Anuj Kumar Chaubey
Law Officer-I
U.P. Pollution Control Board
Lucknow

ADVOCATES' WELFARE FUND STAMP
BAR COUNCIL OF DELHI
₹25 पच्चीस रुपए TWENTYFIVE RUPEES
2607299